AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट थाना कमला नगर जनपद आगरा। 20.06.2022

श्रीमान पुलिस उप–महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध सम्पत्ति अर्जित करने वाले शातिर अभियुक्त संजीव कुमार गुप्ता के विरूद्ध गैंगस्टर के तहत की गयी कुर्की/सम्पत्ति जब्तीकरण (अनुमानित कीमत 90 लाख रूपये) की कार्यवाही....

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माफियाओं के विरूद्ध की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के कुशल नेतृत्व में सख्त एवं कठोर कार्यवाही करते हुये तथा इसी क्रम में मा0 जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आगरा के आदेश वाद संख्या – डी202101010007642 सरकार बनाम अभियुक्त संजीव कुमार गुप्ता सम्बन्धित थाना कमला नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अन्तर्गत धारा 14(1) अधि0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधि0, 1986 के अनुपालन में निम्नांकित सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

उपरोक्त सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 20.06.2022 को सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत, प्रभारी थाना कमला नगर, सहित अन्य पुलिस बल द्वारा आपराधिक कृत्य कर, अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले/गैंगस्टर अभियुक्त **संजीव कुमार गुप्ता** के विरुद्ध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आगरा के आदेश के अनुक्रम में सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा अचल सम्पत्ति को ताला बन्दी कर सील सर्व मोहर किया गया ।

आम जनता को निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति इस सम्पत्ति को क्रय विक्रय न करे, यदि कोई व्यक्ति क्रय विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

अभियुक्त का विवरण :–

01. संजीव कुमार गुप्ता पुत्र राजेन्द्रनाथ गुप्ता निवासी के–126 न्यू आदर्श नगर बल्केश्वर जनपद आगरा

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण :–

01. एक मकान।

कुर्क की गयी सम्पत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपये है।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 132/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कमला नगर जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 114/2020 धारा 419/420/467/468/471 / 120बी/275 भादवि व 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कमलानगर जनपद आगरा ।
03. मु0अ0सं0 116/2020 धारा 379/420/419/467/468/471/406/120बी भादवि व 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कमला नगर आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा।